

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 11/2020

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :- श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र भवानी शंकर जाति गौड उम्र 43 वर्ष निवासी गौतम कॉलोनी जिला बारों (मौके पर मौजूद विक्रेता)। मैसर्स आलौक किराना एण्ड जनरल स्टोर, गौतम कॉलोनी शिव धर्म कांटे के सामने कोटा रोड, जिला बारों।
2. श्री विशाल पुत्र सतीश चन्द्र नैनीवाल निवासी बी-61, तलवण्डी, इन्द्रपुरा कोटा। मैसर्स प्रज्ञा इण्डस्ट्रीज, फ़ैक्ट्री- नैनीवाल फर्म माता भगवती देवी कृषि कॉलेज सीसवाली तह0 अन्ता, जिला बारों।

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :- 1- श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ.

(प्रार्थी स्वयं)

2- स्वयं उपस्थित

(अप्रार्थी क्रम 1)

3- महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक

(अप्रार्थी क्रम 2)

निर्णय दिनांक 27.10.2020

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये :- श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.08.2019 को मैसर्स आलौक किराना एण्ड जनरल स्टोर, गौतम कॉलोनी शिव धर्म कांटे के सामने कोटा रोड, जिला बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री ओमप्रकाश पुत्र भवानी शंकर गौड (मौके पर मौजूद विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 14.08.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।



यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ आटा (प्रज्ञा श्री) 5 कि.ग्रा. पैकिंग बैग में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ आटा (प्रज्ञा श्री) में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं० 5 ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा खाद्य पदार्थ आटा (प्रज्ञा श्री) वास्ते नमूना जांच हेतु 02 कि.ग्रा. खरीदा, जिसकी कीमत श्री ओमप्रकाश पुत्र भवानी शंकर गौड़(मौके पर मौजूद विक्रेता) को 46/- रुपये (अक्षरे छियालीस रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ आटा (प्रज्ञा श्री) 02 कि.ग्रा. को चार नमूना भागों में अलग-अलग कर साफ एवं सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर-बराबर भरकर प्रत्येक डिब्बों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाइट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-960 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-960 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तों में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री ओमप्रकाश पुत्र भवानी शंकर गौड़ ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं० 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में स्वयं द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं० 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं० 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/342 दिनांक 05.09.2019 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 426/FSSL/KOTA /Act/2019/412 दिनांक 30.08.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ आटा (प्रज्ञा श्री) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx)(c)(i) के तहत मिथ्याछाप(**Mis Branded**) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स आलौक किराना एण्ड जनरल स्टोर, गौतम कॉलोनी शिव धर्म कांटे के सामने कोटा रोड, जिला बारों से पत्रांक 349 दिनांक 17.09.2019 से सूचना चाही। मैसर्स आलौक किराना एण्ड जनरल स्टोर, गौतम कॉलोनी शिव धर्म कांटे के सामने कोटा रोड, जिला बारों द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल कार्यालय में पेश किया।

इस पर प्रकरण दिनांक 12.03.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ज रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर तथा अप्रार्थी क्रम 2 जर्ज अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर, प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर, प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस राजस्थान सरकार जर्ज प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ आटा (प्रज्ञा श्री) को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जाँच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx)(c)(i) के तहत मिथ्याछाप (**Mis Branded**) होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा कहा गया कि मेरी दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आटा (प्रज्ञा श्री) वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा था, जिसमें मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी क्रम 2 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि जाँच रिपोर्ट के अनुसार जो त्रुटि पाई गई है वो दुरुस्त कर ली गई है। प्रकरण में सुधारत्मक निर्देश प्रदान किये जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 426/FSSL/KOTA/Act /2019/412 दिनांक 30.08.2019 से असन्तुष्ट थे, तो अप्रार्थी क्रम 1 को जयें पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था, कि उक्त सेम्पल की पुनः जाँच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जाँच नहीं करवायी गई है।

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन एवं मनन/विश्लेषण करने पर पाया गया कि अप्रार्थी क्रम 1 से वास्ते नमूना जाँच हेतु कय किया गया, खाद्य पदार्थ आटा (प्रज्ञा श्री) खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 426/FSSL/KOTA/Act /2019/412 दिनांक 30.08.2019 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx)(c)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 को राशि 5000/- रूपये एवं अप्रार्थी क्रम 2 को राशि 10,000/- रूपये, पत्रावली मे कुल जुर्माना राशि 15,000/- रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जयें चालान बैंक मे निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)